संख्या एससीआईएलआर/तक/400/11/2016/ दिनांक: 1 नवंबर, 2016

विषय: दिनांक 28.10.2016 को नई दिल्ली में आयोजित "नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर समूह" की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

'नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्यबल के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर समूह' की तीसरी बैठक 28.10.2016 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति संलग्न है ।

भवदीय,

(के.पी. गुप्ता)
अधीक्षण अभियंता
दूरभाष: 011-26885227

प्रतिलिपि

1. **श्री एडी मोहिले**, पूर्व अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी, एफ-336, सुशांत लोक-II, सेक्टर-57, हांगकांग बाजार के पास, गुड़गांव, हरियाणा। ई-मेल: anildmohile[at]gmail[dot]com फोन: 01244055262, 9891154061 (मो) - **अध्यक्ष।**
2. **श्री एम गोपालकृष्णन**, पूर्व सदस्य, सीडब्ल्यूसी, डी-1/12, जनकपुरी, नई **दिल्ली,** ई मेल: mgopalakrishnan[at]hotmail[dot]com फोन: 011-28524495- (आर), 09811301279 - **सदस्य।**
3. **श्री विराग गुप्ता**, संवैधानिक और पर्यावरण कानून विशेषज्ञ, आरटीआई हाउस, 17-सेंट्रल लेन, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली -110001 ईमेल: viraggupta[at]hotmail[dot]com फोन: 011- 23311617, 9971797927 - **सदस्य।**
4. **प्रोफेसर अवधेश प्रताप**, जल कानून और प्रबंधन विशेषज्ञ, विधि अध्ययन विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ(यूपी) ईमेल: dr.pratap.avdhesh[at]gmail[dot]com, फोन: 09897547468 - **सदस्य।**
5. **श्री एबी पंड्या**, पूर्व अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली। ई-मेल: abpandya[at]yahoo[dot]co[dot]uk. फोन: 09910264141 - **सदस्य संयोजक**

विशेष आमंत्रित:

1. **श्री नवीन कुमार**, मुख्य अभियंता, आईएमओ, सीडब्ल्यूसी, 228, सेवा भवन (एस), आरके पुरम, नई दिल्ली, फोन: 011-26195519, ई-मेल: ceimo-cwc[at]nic[dot]in
2. **श्री बीपी पांडे**, निदेशक, आईएसएम, सीडब्ल्यूसी, सेवा भवन, आरके पुरम, नई दिल्ली फोन: 09560755838, E-mail:ismcwc[at]gmail[dot]com

तरह की जानकारी के लिए कॉपी करें:

1. सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), केंद्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर.के.पुरम, नई दिल्ली के पी.एस.
2. एसपीएस से महानिदेशक, राजविअ, साकेत, नई दिल्ली ई-मेल: dg-nwda[at]nic[dot]in, फोन: 011-26519164, फैक्स: 011-26960841
3. पीएस से सीई (मुख्यालय), राजविअ, साकेत, नई दिल्ली ई-मेल: cehqnwda[at]rediffmail[dot]com, फोन: 011-26852735, फैक्स: 011-26960841

28 अक्टूबर, 2016 को सेवा भवन, नई दिल्ली में आयोजित नदियों को आपस में जोड़ने के **लिए टास्क फोर्स के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर समूह की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त**

नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्यबल के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर समूह की तीसरी बैठक दिनांक 28.10.2016 को प्रातः 11.00 बजे केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर.के.पुरम, नई दिल्ली के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष और समूह के अध्यक्ष श्री ए डी मोहिले ने की। उन्होंने सभी सदस्यों, आमंत्रितों और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया। बाद में, श्री केपी गुप्ता, अधीक्षण अभियंता-I ने कार्यसूची मदों को उठाया। प्रतिभागियों की सूची अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

मद संख्या 3.1: **नई दिल्ली में 15 सितंबर, 2016 को आयोजित 'नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर समूह' की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि**

महानिदेशक, राजविअ ने बताया कि 15.09.2016 को नई दिल्ली में आयोजित 'नदियों को जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के तहत कानूनी पहलुओं पर समूह' की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त सभी सदस्यों को पत्र संख्या एससीआईएलआर/टेक/400/11/2016/1377-86 दिनांक 24 अक्टूबर 2016 के माध्यम से प्रसारित किए गए थे। । चूंकि किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए आईएलआर के लिए टास्क फोर्स के तहत कानूनी पहलुओं पर समूह की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त को प्रसारित किए जाने की पुष्टि की जा सकती है। तदनुसार, दूसरी बैठक के कार्यवृत्त को परिचालित किये जाने की पुष्टि की गई।

मद संख्या 3.2: मौजूदा कानूनी प्रावधानों पर चर्चा।

महानिदेशक, राजविअ ने बताया कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों पर नोट पहले 14.9.2016 को ईमेल के माध्यम से प्रसारित किया गया था। बाद में, श्री विराग गुप्ता, सदस्य ने अपने पत्र दिनांक 14.10.2016 द्वारा अध्यक्ष, टास्क फोर्स और महानिदेशक, राजविअ को प्रति के साथ समूह के अध्यक्ष को अपना राय नोट प्रस्तुत किया, जिसे सभी सदस्यों को दिनांक 21.10.2016 को ईमेल द्वारा अग्रेषित किया गया। समूह के अध्यक्ष श्री मोहिले ने संवैधानिक प्रावधानों पर टिप्पणी सहित अपनी विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए श्री विराग गुप्ता की सराहना की और उनसे अनुरोध किया कि वे अपने विचारों को संक्षेप में स्पष्ट करें ताकि उनके नोट पर चर्चा हो सके। इसके अलावा, श्री मोहिले ने बताया कि चूंकि सभी कार्यसूची मदों का एक-दूसरे पर असर पड़ रहा है, इसलिए समूह द्वारा दी जाने वाली सिफारिशों पर सदस्यों के बीच आम सहमति बनाने के उद्देश्य से सभी कार्यसूची मदों के आलोक में नोट पर चर्चा की जानी चाहिए।

मद संख्या 3.3: सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के सार पर चर्चा।

तदनुसार, श्री विराग गुप्ता ने बताया कि उन्होंने अपने नोट में मूल रूप से तीन बिंदुओं पर जोर देने की कोशिश की थी जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

1. चूंकि भूजल और सतही जल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए जब भी हम अधिशेष जल की बात करते हैं तो सतह और भूजल दोनों को एक साथ देखने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, जब भी हम संसद या उच्चतम न्यायालय जाते हैं, इस पहलू पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। यह देखा गया है कि केन्द्र सरकार ने भूजल के लिए कतिपय कानून बनाए हैं जो यह दर्शाते हैं कि भूजल संवैधानिक रूप से उनके पास है। लेकिन सतही जल के वितरण और विनियमन के संबंध में समुचित विधान का अभाव है।
2. नदियों के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश त्रुटिपूर्ण है, जिसे 'नदियों की नेटवर्किंग' के मामले में न्यायालय में दायर रिट याचिका में मांगा गया था।

नदियों के राष्ट्रीयकरण पर निर्णय दिए बिना, उच्चतम न्यायालय ने नदियों को आपस में जोड़ने का आदेश दिया है। इसके लिए, केन्द्र सरकार को उपयुक्त विधान अधिनियमित करने अथवा उच्चतम न्यायालय को भेजने के लिए संसद से संपर्क करना चाहिए।

3. नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मुख्य बाधा अधिशेष जल का सही आकलन और बाद में विशेष रूप से दाता राज्यों द्वारा इसकी स्वीकृति है। इसके लिए, प्रवाह डेटा के साथ-साथ उपयोग डेटा का नियमित अद्यतन होना चाहिए ताकि अधिशेष जल का वास्तविक और स्वीकार्य मूल्यांकन किया जा सके और सभी डेटा वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए। इसके बाद, यदि कोई अधिशेष जल पाया जाता है तो बेसिन राज्यों के भीतर इसके उपयोग की मात्रा और बेसिन के बाहर पथांतरणीय जल की मात्रा का प्रश्न उठेगा। इस समय श्री विराग गुप्ता ने दो सुझाव दिए।

    i. यदि अधिशेष जल को किसी अन्य बेसिन में मोड़ा जाना है, तो कुछ विनिमय मूल्य इसे सौंपा जाना चाहिए ताकि दाता राज्य अपने राज्य द्वारा दिए जा रहे जल के स्थान पर बिजली, भूमि या किसी अन्य वस्तु की मांग कर सके।
    ii. अनावश्यक भ्रम से बचने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने को अंतर बेसिन जल अंतरण कहा जाना चाहिए क्योंकि नदियों को आपस में जोड़ने का यह नामकरण पर्यावरणविदों और अन्य सामाजिक समूहों को प्रभावित कर रहा है।

श्री मोहिले ने श्री वी गुप्ता को महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण के लिए बधाई दी और बताया कि उनका सुझाव नोट, सर्वसम्मति नोट तैयार करने में उपयोगी होगा।

3.4 चर्चाएँ

सदस्यों ने श्री गुप्ता के नोट और इससे संबंधित उठाए गए विभिन्न मुद्दों और पहले परिचालित अन्य टिप्पणियों पर चर्चा की।

चर्चा किए गए कुछ मुद्दे थे:

1. क्या समूह को लगता है कि संवैधानिक संशोधन आवश्यक या वांछनीय है

2. संभावित दाता बेसिन के "अधिशेष" जल का फैसला कैसे करें।

3. क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय (512/2002 दिनांक 27 फरवरी 2012) का निर्णय अधूरा प्रतीत होता है और क्या समूह महसूस करता है कि माननीय न्यायालय से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिए।

4. श्री वी गुप्ता ने बताया कि यदि किसी सदस्य को अपने नोट में दिए गए किसी भी बिंदु के बारे में कोई मतभेद है, तो वह चर्चा करने के लिए तैयार है, और या तो आश्वस्त हो सकता है, या आश्वस्त हो जाता है, हालांकि, उन्होंने महसूस किया कि मुख्य परिचालन कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, पहले अधिशेष जल का अनुमान लगाने और फिर अधिशेष जल के पथांतरण पर। इसलिए, उन्होंने अतिरिक्त जल और इसके वितरण के लिए पैरामीटर तय करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इन मापदंडों में पीने के जल और सिंचाई और वैकल्पिक उपयोगों जैसे जल के अनिवार्य उपयोगों को तय करने के लिए पैरामीटर शामिल होने चाहिए, उदाहरण के लिए, कुछ राज्य अतिरिक्त धान उगाने के लिए अतिरिक्त जल मांगते हैं। ऐसे मामले में, फसल पैटर्न के बारे में निर्णय लेना होगा।

श्री गोपाल कृष्ण ने बताया कि राजविअ सतही जल के वर्तमान उपयोग के साथ-साथ अनुमानित उपयोग को भी ध्यान में रख रहा है। वर्तमान उपयोग के लिए, बहुत अधिक विवाद नहीं है, लेकिन अनुमानित उपयोग के लिए, बेसिन राज्यों के बीच मतभेद हो सकता है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि राजविअ द्वारा जल की कुल उपलब्धता का आकलन करते समय भूजल पर विचार नहीं किया जाता है क्योंकि इसे राज्यों द्वारा सिंचाई और पेयजल के उपयोग के लिए छोड़ दिया जाता है। भूजल का आगे उपयोग प्रत्येक वर्ष इसकी पुनःपूर्ति पर निर्भर करता है।

उन्होंने बताया कि कावेरी ट्रिब्यूनल ने 50% आधारित प्रवाह (75% आधारित प्रवाह के स्थान पर) के आधार पर जल की उपलब्धता का आकलन किया है और बेसिन राज्यों के बीच जल का आवंटन किया है। इसके परिणामस्वरूप अवार्ड को कार्यान्वित करना कठिन है क्योंकि राज्यों को आबंटित जल का हिस्सा वर्ष के 50% के लिए वास्तव में उपलब्ध नहीं है। और अवार्ड ऐसे वर्षों में संकट को साझा करने के बारे में एक स्पष्ट सूत्र या अनुमान का संकेत नहीं देता है।

श्री वी गुप्ता ने उल्लेख किया कि यदि कोई राज्य गुप्त रूप से भूजल का अत्यधिक दोहन करता है, क्योंकि भूजल और सतही जल परस्पर संबंधित हैं, तो यह सतही जल को प्रभावित करेगा। जल के उपयोग के बारे में उन्होंने आशंका व्यक्त की कि उपयोग के लिए निश्चित मापदंडों के अभाव में, राज्य अपने अनुमानित उपयोग को बढ़ा सकते हैं और कह सकते हैं कि उनके राज्य में बेसिन में कोई अधिशेष जल नहीं है। इस प्रकार, अधिशेष जल को विनिमय मूल्य देना आवश्यक है ताकि उन्हें अन्य राज्यों को जल के पथांतरण के लिए सहमत होने के लिए प्रेरित किया जा सके।

श्री एबी पण्ड्या ने बताया कि यह मानना उचित नहीं होगा कि किसी राज्य में सतही जल की कमी हो सकती है और भूजल के संबंध में उसकी स्थिति बेहतर हो सकती है। उन्होंने बताया कि यदि एक ही क्षेत्र के सतही जल उपलब्धता मानचित्र और भूजल उपलब्धता मानचित्र की तुलना की जाए तो यह पाया जाता है कि यदि सतही जल में क्षेत्र अधिशेष है तो वह भूजल में अधिशेष है। वैकल्पिक रूप से, यदि यह सतह के जल में कम है, तो यह भूजल में भी कमी है। ऐसा कभी नहीं होता है कि यदि किसी क्षेत्र में सतही जल की कमी है तो वह भूजल में अधिशेष है। हालांकि, बेसिन की स्थिति का निर्धारण करने में दोनों स्रोतों पर एक साथ विचार करते समय, यह याद रखना चाहिए कि (i) वास्तविक अंतरण सतह के जल से होना चाहिए, और कृत्रिम रूप से भूजल के पुनर्भरण में सीमाएं हैं।

श्री वी गुप्ता ने जोर देकर कहा कि नदियों को आपस में जोड़ने के लिए आगे बढ़ने से पहले हमें दो काम करने चाहिए। सर्वप्रथम, हमारे पास वास्तविक अद्यतन आंकड़े होने चाहिए और उपयोग के लिए मानदंड निर्धारित करने चाहिए ताकि अधिशेष जल का आकलन इन मानदण्डों के आधार पर किया जा सके जो राज्यों को स्वीकार्य हों। ऐसा करने के बाद उनका विचार था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहां प्रस्तावित अधिकांश लिंकों, जिनमें हम अधिशेष जल होने की गलत धारणा रखते हैं, के पास व्यावहारिक रूप से अधिशेष जल नहीं होगा। दूसरे, हमें बेसिनों के मामले में पथांतरणीय जल के उपयोग की योजना बनानी होगी जो वास्तव में अधिशेष पाया जाएगा। उन्होंने बताया कि लागत लाभ विश्लेषण की आवश्यकता यह देखने के लिए की जाएगी कि क्या भविष्य में राज्यों द्वारा प्रस्तावित बेसिन के उपयोग के साथ-साथ यह भी देखने के लिए कि क्या लिंकों के योजनाकार द्वारा प्रस्तावित 'आउट ऑफ बेसिन' का उपयोग इन प्रस्तावों को यथोचित रूप से व्यवहार्य बनाता है। यह भी तय करना आवश्यक होगा कि लागत कौन वहन करेगा, और किस हद तक। इसके अलावा, उन्होंने सुझाव दिया कि दो मदों पर समानांतर कार्रवाई की आवश्यकता है, नामत: अंतर-बेसिन जल अंतरण के लिए कानूनी प्राधिकरण और कार्यान्वयन के लिए अभिकरण के लिए। विधिक प्राधिकार के लिए हम केन्द्र सरकार से अनुरोध कर सकते हैं कि वह अंतरबेसिन जल अंतरण के लिए उपयुक्त विधान बनाने हेतु संसद से संपर्क करे। अभिकरण के लिए, हम यह तय कर सकते हैं कि कौन सा संगठन प्रवाह डेटा को अद्यतन करने, उपयोग के संबंध में डेटा एकत्र करने, अधिशेष जल का अनुमान लगाने आदि से संबंधित कार्य निष्पादित करेगा। उन्होंने बताया कि ये उनका अंतिम विचार है।

श्री मोहिले ने श्री गुप्ता को इतनी जल्दी समाप्त न करने का अनुरोध किया। उन्होंने उल्लेख किया कि अधिशेष जल का उत्पादन बेसिन के आधार पर किया जाता है न कि राज्यों के आधार पर। कृष्णा बेसिन का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि बेसिन चार राज्यों नामत: महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसी प्रकार, कावेरी अधिकरण ने बेसिन राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच जल का आवंटन किया है।

तथापि, अंतरबेसिन जल अंतरण के मामले में गैर-बेसिन राज्यों को जल के आबंटन की आवश्यकता है।

श्री वी. गुप्ता ने प्रत्येक परिभाषित बेसिन के लिए नियामक प्राधिकरण की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि जल के वितरण पर विवाद कम हो सके।